भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1105

मंगलवार, दिनांक 28 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

संतुलित ऊर्जा संक्रमण

1105 श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संतुलित ऊर्जा संक्रमण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पारंपरिक कोयला उत्पादक क्षेत्रों और उनके आसपास सौर ऊर्जा एवं हरित हाइड्रोजन सहित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने हेतु कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं की सह-स्थापना को और अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) सरकार ने देश में, संतुलित ऊर्जा परिवर्तन में सहायता करने के लिए अपने प्रयासों के हिस्से के रूप में, पारंपरिक कोयला उत्पादक क्षेत्रों में और उनके आस-पास नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने और गति प्रदान करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं और पहल की हैं। प्रमुख पहल का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख) एवं (ग): भारत सरकार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (NGHM) का कार्यान्वयन कर रही है जिसका उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिवों के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए वैश्विक हब बनाना है। मिशन के अंतर्गत, जिन कंपनियों को क्षमताएं आवंटित की गई हैं वे देश में किसी भी उचित स्थान पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग सुविधा की स्थापना कर सकते हैं। वर्तमान में, परंपरागत कोयला उत्पादक क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं की सह-स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं है।

अनुलग्नक-I

'संतुलित ऊर्जा संक्रमण' के संदर्भ में पूछे गए दिनांक 28.07.2026 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1105 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

भारत सरकार देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने और गति प्रदान करने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है और पहल कर रही है। इसमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- ग्रिड कनेक्टेड सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड और सतत एवं प्रेषण योग्य नवीकरणीय ऊर्जा (FDRE) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- नवीकरणीय ऊर्जा खपत को बढ़ाने के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा खरीद बाध्यता (RPO) के बाद नवीकरणीय उपभोग बाध्यता (RCO) ट्रैजेक्ट्री को वर्ष 2029-30 तक के लिए अधिसूचित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू RCO की अनुपालना न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। RCO में विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से खपत की निर्दिष्ट मात्रा भी शामिल है।
- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी गई है।
- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए)के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना (जनजातीय और पीवीटीजी बसाहटों/गांवों के लिए), राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ), लघु जल विद्युत विकास योजना शुरु की गई हैं।
- सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपरों को बड़े स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि एवं ट्रांसमिशन उपलब्ध कराने के लिए योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं सहित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (ISTS) शुल्कों में कुछ समय-सीमा और शर्तों के साथ छूट।
- नवीकरणीय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के अंतर्गत नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने और नई सब-स्टेशन क्षमता विकसित करने हेतु वित्तपोषण किया गया है।
- ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क जारी किया गया।
- भारत के लिए संसाधन पर्याप्तता नियोजन फ्रेमवर्क (Resource adequacy planning Framework) के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए।
- पांच सौ किलोवाट तक अथवा स्वीकृत विद्युत लोड तक, जो भी कम हो, नेट-मीटरिंग के लिए विद्युत (उपभोक्ता के अधिकार) नियम, 2020 जारी किए गए हैं।
- "पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पुनः शक्तिकरण और जीवन विस्तार नीति, 2023" जारी की गई है।

- अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए अपतटीय क्षेत्रों के पट्टे (लीज) की मंजूरी को विनियमित करने के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा पट्टा नियम, 2023 को विदेश मंत्रालय की दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया है।
